

**भागईलम,
राष्ट्रीय प्रामिथिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद प्रदेश (उत्तर-प्रदेश)**

संख्या- प्राथमिक/प्रामिथिक सम्बन्धित/२०२०/१००१

लागवर्त दिनांक 15-9-2020

:-सामयिक सूचना:-

राष्ट्रीय प्राथमिक शैक्षणिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्रदेशीय स्तर/उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद द्वारा 2020-21 हेतु विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष/वर्षावधि शिक्षण संस्थाओं में आयोजित राज्य स्तर के राष्ट्रीय प्रामिथिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाने वाली/सम्बन्धित शिक्षण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15-09-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचनाओं में अधिकांश संस्थाओं में प्रेषित किया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 2020-21 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बन्धित/पूर्व के सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बन्धित शिक्षण/सामग्री/संसाधन/संसाधन वृद्धि करित आदि को पर विचार करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्बन्धित प्रदान किये जाने पर निर्देश किया गया।

इसके अलावा ये संस्थाओं समिति को देखने के बाद 15 नवंबर तक सभी प्राथमिक शैक्षणिक संस्थाओं को सूची के अनुसार सम्बन्धी एक प्रस्ताव एक साथ सम्बन्धित समिति द्वारा राज्य विचार-विमर्श कर सम्बन्धित किया गया।

" विद्यार्थी शैक्षिक प्रामिथिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित प्राथमिक शैक्षणिक प्रदान करने वाली संस्थाएं, जो प्रामिथिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सूची के सम्बन्धी हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु प्रामिथिक/शैक्षणिक द्वारा नई प्रस्ताव/संसाधन/संसाधन प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में प्रामिथिक/शैक्षणिक द्वारा प्रदान किया गयी अनुसंधान विस्तार के अनुसार प्रदान करने को सम्बन्धित अधिकांश प्राथमिक/प्रदेशीय स्तरों के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद की सम्बन्धित विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं शैक्षणिक/शैक्षणिक प्रामिथिक/शैक्षणिक द्वारा प्रदान अनुसंधान विस्तार के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु परिषद को सम्बन्धित विस्तार किये जाने पर निर्देश किया गया।"

दिनांक 15-09-2020 को प्राप्त सम्बन्धित/संसाधन की सूची में जारी गये सम्बन्धित प्रदान के अनुसार ये शिक्षा परिषद को प्रामिथिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्रदेशीय स्तर/उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद द्वारा 2020-21 हेतु आयोजित करने के अधीन प्राथमिक एवं प्रदान करने वाले संस्थाओं को सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	सम्बन्धित संस्था का नाम	सम्बन्धित संस्था का नाम	संस्थाओं/संस्थाओं का नाम	संस्थाओं/संस्थाओं का नाम
1	2020	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थाओं हेतु सूची

- ✓ सभी प्राथमिक/प्रदेशीय स्तरों/प्रामिथिक शिक्षा परिषद की सभी सूची के सूची प्रदान की है।
- ✓ राज्य स्तर पर प्रामिथिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 हेतु आयोजित करने के अधीन प्राथमिक एवं प्रदान करने वाले संस्थाओं को सम्बन्धित विस्तार प्रदान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 2020-21 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बन्धित/पूर्व के सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बन्धित शिक्षण/सामग्री/संसाधन/संसाधन वृद्धि करित आदि को पर विचार करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्बन्धित प्रदान किये जाने पर निर्देश किया गया।

(हस्ताक्षर)

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई गयी विधि/नियमों/आपत्तिवश/आवकाशों/निर्देशों एवं निर्देशक, परिचालक शिक्षा, उ०ए०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०ए० तथा परिचालक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये प्राव्य होगी।
- ✓ किलोवा इन फरोंसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रहती है तो इस संबंध में समस्त व्यवसायिक सत्य यह होगा कि विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। परिचालक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, परिचालक शिक्षा निदेशालय एवं परिचालक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दायर किया जाता है तथा हायर एंड लो स्तर के संबंध में जो व्यवसायिक दावों किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाते हैं तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ किलोवा इन फरोंसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०ए० प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु फाइनलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद अध्यक्षता को उपस्था करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की व्यवसायिक के प्रावधान से प्रवेश संबंध स्तर पर संचालित प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उ०ए० प्रदेश हायर एंड लो स्तर हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, आकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु अत्यंत आवश्यक उपकरण वस्तुओं के साथ रजिस्टर संबंध के व्यवस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रावणित/संचालित व्यवस्था को पालने जाने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कवाने गये अतिरिक्त, भूमि-आवक, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसमें सम्मिलित होती है कि संस्था अतीत का प्रयोग किया अन्य बरतें के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्पत्ति समस्त लिखे जाने की अनुमति को करेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निर्देशक द्वारा यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, छात्रावास, आकरण एवं अन्य साज-सज्जा आदि/आवक/परिषद के सातगुण्य उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्पत्ति किता किसी राज्य के समक्ष कर दी जायेगी।
- ✓ सम्पत्ति वस्तु का अनुपालन न किये जाने अथवा क्षति का उपलब्ध किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[कुल कुंभार संकेत]
साधवा

ए०ए०-परिषद/परिषद सम्पत्ति/2021/ 6334-6374 दिनांक 30/10/2021
परिचालक शिक्षा/निदेशक, एम०सी०एल प्रवेश परीक्षा बोर्ड फरोंसी, नवीपु, हरदोई-उ०ए०

[कुल कुंभार संकेत]
साधवा

